कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गौतमबुद्धनगर जोन,
ई–204, सैक्टर–02, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध नगर।

संख्या– 804 वि0सु0नि0(गौ0बु0न0जो0)/लि0एक्ट उल्लंघन/2025–2026, दिनांक–17/06/2025

सेवा मे,

सचिव/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय विहार–02, सोसाइटी, प्लाट नं0–3,
सेक्टर–82, नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर।

विषयः <u>लिफ्ट अधिनियम एवं नियमावली–2024 के अन्तर्गत पंजीकरण न कराकर उक्त अधिनियम एवं नियमावली के उल्लंघ[न] तथा जिलाधिकारी महोदय के दिनांक–12.06.2025 को मीटिंग मे निर्गत आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

आप अवगत ही हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर और उनसे संबंधित समस्त मशीनरी और साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों [का] उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम–2024 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आपके परिसर में अधिष्ठापित लिफ्ट या एक्सलेटर का रजिस्ट्रेशन विद्युत सुरक्षा निदेशालय के वेबसाइट updeslift.org प[र] [क]राना आवश्यक है, जिसके आवेदन के उपरान्त शुल्क राजकोष के माध्यम से ही आनलाइन करने की व्यवस्था है। यदि विद्यमा[न] लिफ्ट या एक्सलेटर में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो नया रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लिफ्ट या एक्सलेट[र] के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य रूप से ओईएम या उससे प्राधिकृत सेवा प्रदाता से व्यापक ए0एम0सी0 लेनी अनिवार्य होगी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में स्थित सभी प्रकार के परिसर यथ[ा] हॉस्पिटल/सोसायटी/होटल/मॉल/शिक्षण संस्थान सभी प्रकार के आवासीय/गैर आवासीय परिसर में लिफ्ट पंजीकरण [की] **अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 नियत की गई थी।**

यह संज्ञान में लाया गया है कि आपके द्वारा वर्तमान समय तक अपने प्रतिष्ठान में संचालित प्रत्येक लिफ्ट का पंजीकर[ण] नहीं कराया गया है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा जान–बूझकर शासन के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके सोसायटी में अधिष्ठापित 120 नं0 लिफ्ट का पंजीकरण शुल्क 600000/– एवं उत्तर प्रदेश लिफ्ट एण्ड एस्केलेटर एक्ट–2024 के नियम–10 के उल्लंघन हेतू प्रत्येक लिफ्ट का विलम्ब शु[ल्क] रू0 10000/– की दर से कुल विलम्ब शुल्क 1200000/– सहित पंजीकरण करा लें अन्यथा की स्थिति में तत्काल प्रभाव [से] आपके प्रतिष्ठान की लिफ्ट का संचालन बन्द कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड रू0 1800000/– आरोपित करते [हुए] वसूली सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही मौके पर किसी भी अप्रिय स्थित के लिये पूर्ण रूप से आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

(इं0 रमेश कुमार)

संख्या– वि0सु0नि0(गौ0बु0न0जो0)/लि0एक्ट उल्लंघन/2025–2026, तद्दिनांक–

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जिला–गौतमबुद्ध नगर।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय, जिला–गौतमबुद्ध नगर
3. निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद।

(इं0 रमेश कुमार)

Scanned with CamScann